राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेलवे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में शैक्षिणक सत्र 2016-17 से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू हो गई है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट http://sjms.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

2. आवेदन प्रक्रिया :

1. विभागीय छात्रावासों में नवीन प्रवेश हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र sjms.rajasthan.gov.in एवं http://sje.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित किये जायेंगे।
2. एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिये ऑन लाईन आवेदन कर सकेगा।

3. प्रवेश हेतु पात्रता

1. आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में कक्षा 6 अथवा 6 से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी होना आवश्यक।

4. प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज : ई-मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर/यू.आई.डी.अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, भामाशाह कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह रजिस्ट्रेशन नम्बर, मूल निवास प्रमाण-पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्रमाण-पत्र (केवल बीपीएल के लिये), निःशक्तता प्रमाण-पत्र (केवल विशेष योग्यजन के लिये), आय प्रमाण-पत्र (अनाथ एवं गैर बीपीएल हेतु), माता और पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिये), पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिये), पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र (विधवा आवेदकों के लिये), राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण-पत्र (केवल निष्क्रमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालय के लिये) एवं राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण-पत्र (केवल भिक्षावृति व अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिये)।

- उक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्केन प्रति ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
- स्केन्ड फाईल आवश्यक दस्तावेज सहित ऑनलाइन करनी होगी।
- फाईलों का आकार 200 के.बी. से कम होना चाहिये।
- पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को गत परीक्षा की अंक तालिका sjms पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी को सत्र 2016-17 के लिए पुनः पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. प्रवेश हेतु नियत समयावधि :

1. विभागीय छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में 25 जून, 2016 तक पूर्व से 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवासरत विद्यार्थियों को एवं अनाथ, विधवा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन, बीपीएल आदि को प्रवेश दिया जायेगा।
2. स्थान रिक्त रहने पर 26 जून से 05 जुलाई, 2016 तक पूर्व से आवासरत 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक/बालिका को प्रवेश दिया जायेगा।
3. स्थान रिक्त रहने पर 06 जुलाई से 15 जुलाई, 2016 तक किसी भी श्रेणी के 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक/बालिकाओं को प्रवेश दिया जायेगा।
4. स्थान रिक्त रहने पर 15 जुलाई, 2016 के उपरान्त "**पहले आओ पहले पाओ**" व्यवस्थान्तर्गत प्रवेश दिया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जून, 2016 तक। हेल्प लाइन नंबर - 0141-2226638

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

16 x 12 sqcm